संख्या-79/2024/।/803235/2024/002-77-3002-003-8-2024

प्रेषक,

राम्या आर0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22.11.2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 1438/यूपीडा/24/3143 दिनांक 17.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 12000.00 लाख (रू0 एक अरब बीस करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/ शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय	22807.97	10000.00	12000.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी,चित्रकूट के संगत डिपाजिट खाते में जमा करायी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य् स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य् कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

(8) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, चित्रकूट उत्तरदायी होगें।

(11) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि से भूमि का क्रय किये जाने में संगत अधिनियम एवं इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चिंत किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,20,00,00,000 (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033371600 चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(राम्या आर0)
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2.निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।

6. अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) चित्रकूट।

7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, चित्रकूट।

8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

11.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ।

12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

13.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम्या आर0),
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।